

वर्तमान उपनिधियाँ	संशोधित उपनिधियाँ
(क) -----	(सी) 2.5 लाख १० से 5 लाख १० तक का लेने वाले टेकदार "सा" श्रेणी के टेक होंगे। उनके लिये लाइसेंस शुल्क 2000.00 ₹० प्रति वर्ष होगा।
(ख) -----	(डी) 2.5 लाख १० तक का टेक लेने वाले टेक "डा" श्रेणी के टेकदार होंगे। और उनके लिये लाइसेंस शुल्क 1000.00 ₹० प्रति वर्ष होगा।

उपनिधिम लागू होने की तिथि से 2 वर्ष पश्चात् कि भी शुल्क में जिला पंचायत परिवर्तन/वृद्धि/कमी स्वमेव सकती है।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, अलगद यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति/टेकदार/संस्था/फर्म आदि इन उपनिधियों का उल्लंघन करेगा उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा, जो 2000.00 ₹० तक हो सकेगा। और उल्लंघन जारी रहा तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जितने वारे सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अर्थात् 50.00 ₹० प्रतिदिन तक हो सकेगा अथवा यदि अपराधी अर्थदण्ड का भुगतान न कर सके तो कारावास से दण्डित होगा, जो 3 मास तक हो सकेगा।

को० के० शर्मा,
आयुक्त,
आगरा मण्डल, आगरा

19 जुलाई, 2002 ई०

सं० 1909(1)/22-62-2001-30 प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961, यथा संशोधित 1994 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, कौशाम्बी अपने ग्राम क्षेत्र में संचालित (कार्यरत) दुकानों, सभी प्रकार के व्यवसायों को निश्चित करने तथा उन पर लाइसेंस लगाने सम्बन्ध में शासकीय मजदू में प्रकाशित विज्ञापित सूख्या 863/23-51-1990, दिनांक 4 अप्रैल, 1995 जो जनपद कौशाम्बी के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावों की अतिरिक्त संशोधित करके निम्नलिखित संशोधन किया गया है, जो शासकीय मजदू प्रकाशन की तिथि से प्रभावों होगा।

संशोधन

क्र.सं.	वर्तमान उपनिधिम	ला०शु० वार्षिक	क्र.सं.	संशोधित उपनिधिम	ला०शु० वार्षिक
1	2	3	1	2	3
		₹०			₹०
1	कपड़ा की दुकान	100.00	1	कपड़ा की दुकान	500.
2	कपड़ा होजरा	30.00	2	रेडिओ कपड़ा	200.
3	मिठाई की दुकान	50.00	3	मिठाई की दुकान	100.
4	सार्वजनिक उकों/मजदू बाजारों में स्थाय. होटल	100.00	4	सार्वजनिक उकों/मजदू बाजारों में स्थाय. होटल	500.
5	इमारत लोहे की दुकान	300.00	5	इमारत लोहे की दुकान	500.
6	इमारत लकड़ी व फर्नीचर	250.00	6	इमारत लकड़ी व फर्नीचर	500.

सत्यापित!
आयुक्त, कौशाम्बी

		3			3
		₹	1	2	₹
7	जूता की दुकान	50.00	7	जूता की दुकान	200.00
7-ए	प्लास्टिक जूता चप्पल	50.00	7-ए	प्लास्टिक जूता चप्पल	निरस्त
8	गल्ला एवं किराता	200.00	8	गल्ला एवं किराता	500.00
8-ए	बड़े गल्ला एवं	75.00	8-ए	बड़े गल्ला एवं चाकल व्यवहार	1000.00
	8-बी किराता/परचून		8-बी	किराता/परचून	200.00
9	सिलवर के जलिरस्त बर्तन की दुकान	300.00	9	पैवल, तावा, स्टील के बर्तन की दुकान	500.00
9-ए	सिलवर की दुकान	50.00	9-ए	सिलवर के बर्तन की दुकान	400.00
10	सोना चांदी आभूषण की दुकान (बड़ी)	350.00	10	सोना चांदी आभूषण की बड़ी दुकान (हराफ)	1000.00
1	पुस्तक कारी स्टेशनरी की दुकान	25.00	11	पुस्तक कारी स्टेशनरी की दुकान	200.00
2	मेडिकल स्टोर्स	100.00	12	मेडिकल स्टोर्स	300.00
3	लकड़ी का टाल या कोयले की दुकान	500.00	13	लकड़ी का टाल या कोयले की दुकान	1000.00
1	पेट्रोल पम्प, डीजल पम्प	1000.00	14	पेट्रोल पम्प	3000.00
1	साइकिल कं० या नई साइकिल विक्री की दुकान	300.00	14-ए	डीजल पम्प	3000.00
	विनातखाना/जनरल स्टोर्स	50.00	15	साइकिल कं० या नई साइकिल विक्री की दुकान स्टोर्स	1000.00
	कृषि सम्बन्धी मशीनरी की दुकान		16	विनात खाना/जनरल स्टोर्स	200.00
	सोना चांदी आभूषण कारी की दुकान	100.00	17	कृषि सम्बन्धी मशीनरी की दुकान	1000.00
	घड़ी राज एवं वड़ी की दुकान	50.00	18	सोना-चांदी आभूषण कारी की दुकान/कार्य	200.00
	रेडियो, इलेक्ट्रिशियन एवं लाउड-स्पीकर की नई दुकान	200.00	19	नई घड़ी की दुकान	500.00
	बालू एवं मोरंग की दुकान	300.00	22	रेडियो/इलेक्ट्रिशियन एवं लाउडस्पीकर की नई विक्री की दुकान	1000.00
	कालोन गलैचा ब्रान्च	2000.00	29	बालू की दुकान	500.00
	चावल, दाल, प्रिन्टिंग मिल्स	2000.00	29-ए	मोरंग की दुकान	500.00
	इमारती पत्थर व पटिया की फुटकर दुकान	300.00	35	कालोन गलैचा ब्रान्च	5000.00
	थोक दुकान	1000.00	35-ए	कालोन गलैचा कमीशन एजेंट	2000.00
	खाद की एजेंसी	2000.00	37	चावल दाल, प्रिन्टिंग मिल्स	5000.00
			37-ए	भिनी चावल, दाल मिल	2000.00
			43	इमारती पत्थर पटिया की दुकान	2000.00
			45	खाद की एजेंसी	5000.00
			45-ए	खाद की दुकान	2000.00

सत्यापित

उत्तर प्रदेश सरकार
विद्या पर्याय, कोयंबूर

1	2	3	1	2	3
		₹0			₹0
46	सीमेन्ट की एजेंसी	2000.00	46	सीमेन्ट की एजेंसी	5000.00
			46ए	सीमेन्ट की दुकान	2000.00
56	अन्य व्यवसाय (जो उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं हैं)	500.00	56	अन्य व्यवसाय जो उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं हैं उनके लाइसेंस शुल्क ऊपर मुख्य अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।	
57	दरी, कम्बल आदि	1000.00	57	दरी, कम्बल, ब्राय्ज	2000.00
57ए	दरी, कम्बल की दुकान	500.00	57ए	दरी, कम्बल की दुकान	1000.00
अवधिमान उपविधि संख्या-62 के पश्चात् निम्न उपनियमों का बढ़ाया जाना।					
			63	गिट्टी पत्थर पट्टाधारक ठेकेदार	2000.00
			64	ट्रक, बस तथा बड़ी वाहनों के पार्ट्स की दुकान	2000.00
			65	मोटर साइकिल वाहन के पार्ट्स की दुकान	1500.00
			66	मोपेड वाहनों के पार्ट्स की दुकान	1000.00
			67	लोहे के फाटक, ग्रिल आदि की दुकान	2000.00
			68	स्टील लोहे वाक्स, अलमारी बरवाट, टब आदि की दुकान	1000.00
			69	पेट्रोलमैक्स की दुकान	1000.00
			70	मोटर मैकेनिक की दुकान	300.00
			71	मोटर साइकिल/मोपेड मैकेनिक की दुकान	200.00
			72	जनरेटर, रोडलाइट की दुकान	1000.00
			73	खलो, चूनी की बड़ी दुकान	1000.00
			74	बीज भण्डार/बीज की दुकान	250.00
			75	पेन्ट की दुकान	500.00
			76	दूरसंचार केन्द्र "पी० सी० ओ० एच० टी० डी०/आई० एस० डी० की दुकान"	1000.00
			77	खाद कारखाना सीमेन्ट कारखाना गोदाम	2000.00
			78	फर्म क० जिसका वार्षिक व्यवसाय पांच लाख रुपये तक का टर्न हो	2000.00
			79	प्रापर्टी डीलर/एजेंट	2000.00

सत्यापित।

उपर मुख्य अधिकारी
वित्त विभाग, कोटापकी

2	3	1	2	3
				₹0
		80	बालू एवं बजरी तथा पत्थर के डेकेदार	2000.00
		81	गारमेट्स एण्ड कास्मेटिक्स की दुकान	1000.00
		82	वीडियो ग्राफी/स्टूडियो की दुकान/कार्य	500.00
		83	प्रेसर कुकर/स्टोप की दुकान	500.00
		84	इलेक्ट्रो स्टेट-फोटोस्टेट की दुकान	500.00
		85	दुग्ध पेरने की डेयरी उद्योग 'दुग्ध पेरने की दुकान'	500.00
		86	काढ़ी की थोक दुकान	2000.00

नोट—उक्त वर्णित एवं अन्य सभी प्रकार के व्यवसायियों जो जनपद कौशांबी के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं प्रभावी उपविधि में वर्णित ला० शु० न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों फर्मों आदि की सधारण नोटिस ऑफ-पत्र जारी करने के पश्चात् भुगतान न करने अथवा संतोषानुकूल उत्तर न प्राप्त होने पर रिकवरी सर्टिफिकेट (आर० सी०) की कार्यवाही की जायेगी।

दण्ड

शु० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 240 में प्रदत्त के अनुसार जिला पंचायत कौशांबी यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा रुपये 1000.00 तक अर्थदण्ड से दण्डनीय किया जायेगा जो प्रथम दोष द्विद के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दोष करवा करता रहा है रुपये 50.00 (₹0 पचास) प्रतिदिन तक अर्थदण्ड हो सकेगा, अन्यथा अर्थदण्ड का किया जाये, तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो तीन माह तक हो सकेगा।

सदा कान्त,
अयुक्त,
इलाहाबाद मण्डल,
इलाहाबाद।

6 जुलाई, 2002 ई०

सु० 1044/23-19 (2001-2002)—एम० ए०-2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधि-
-61 की धारा 239 (2) के खण्ड (घ) व (3) 3, 5 से 10 के अन्तर्गत शासकीय विज्ञप्ति संख्या 614/21-
-65), दिनांक 22 जनवरी, 1966 द्वारा स्वीकृत तथा समय-समय पर संशोधित एवं जिनमें अन्तिम संशोधन
संख्या 1447/23 14 (2000-2001) एम० ए० 2, दिनांक 9 जुलाई, 2001 द्वारा हुआ था, में प्रचलित
ले के तदनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जिलों के संचालन को नियमित एवं निश्चित करने हेतु बनायी गयी उपविधियों
संशोधन करते हुए पूर्व पारित उपविधि जिसका प्रकाशन 9 जुलाई, 2001 को हुआ था के क्रमांक 19 में
शोधन किया है तथा विज्ञप्ति संख्या 1380/23-44(97-98) एम० ए० 2 दिनांक 18 जून, 2001 द्वारा
संशोधनों को निरस्त किया गया। इनकी पुष्टि आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा प्रदान कर दो
ए कथित अधिनियम की धारा 242 (2) के अर्धीन प्रकाशित किये जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश शासकीय
कार्य को निश्चित प्रभावी होगी—

सत्यमूर्ति
अपर मुख्य अधिकारी
विश्व पंचायत, कौशांबी